

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ 4 (ई) (के-85/2011) अलेसे-III/

दिनांक :-

श्री कमल खन्ना पुत्र श्री विशन देव खन्ना
2372, सत सविदास नगर,
गली नं० 3, भदवासीया,
जोधपुर-342007

विषय — विभागीय आदेश संख्या 317/2012-13 दिनांक 19.03.2013 की
अनुपालना में कार्यग्रहण करने संबंधी।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी नियुक्ति राज० लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखाकार/क०लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशानानुसार आपको कनिष्ठ लेखाकार के रूप में विभागीय आदेश संख्या 317/2012-13 दिनांक 19.03.2013 के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर कार्यालय कोषालय झुंजरपुर में क०लेखाकार के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए आपको निर्देश दिये गये थे कि आप उक्त आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस में पदस्थापन कार्यालय कोषालय, झुंजरपुर में निश्चित रूप से कार्यग्रहण/उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा आपके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके पश्चात् विभागीय समसंख्याक पत्र क्रमांक 401 दिनांक 12.04.2013 द्वारा भी शीघ्र कार्यग्रहण करने हेतु रजिस्टर्ड पत्र से लिखा गया था किन्तु वह पत्र आपस लौट कर आ गया है। परन्तु आदेश जारी होने के लगभग 2 माह में भी आपने पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति/कार्यग्रहण नहीं किया है।

आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2013 के द्वारा आपने जोधपुर शहर में नियुक्ति चिलचाने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में आपको लिखा गया था कि वर्तमान परिस्थिति में जोधपुर में नियुक्ति/पदस्थापन समय नहीं है। आप तुरन्त पदस्थापन कार्यालय कोषालय, झुंजरपुर में कार्यग्रहण कर इस विभाग को प्रगति से अवगत कराये, परन्तु अभी तक आदेश की पालना नहीं की गई है। सत आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में पदस्थापन कार्यालय कोषालय, झुंजरपुर में कार्यग्रहण/उपस्थिति देकर पालना रिपोर्ट से अविलम्ब इस निदेशालय को सूचित करें अन्यथा आपकी अम्यार्थिता (नियुक्ति) आदेश निरस्त कर दिये जावेगे।

30-
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

दिनांक - 16.05.13

क्रमांक :- एफ 4 (ई) (के-85/2011) अलेसे-III/6400

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. श्री यु.आर. मीणा, उप प्रवर डाकपाल, प्रधान डाकघर, जोधपुर।
2. कोषाधिकारी, झुंजरपुर को श्री कमल खन्ना की कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर (वेबसाइट) निदेशालय।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)